न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 8/प्रा.पत्र/2025 (GCMS No. 2025/38)	21.04.2025	29.07.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

1. जानकीलाल पुत्र कल्याण जाति नाई,
   निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
2. अनुसूईया पुत्री कल्याण जाति नाई,
   निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
3. कमला बाई पत्नी कल्याण जाति नाई,
   निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
4. कोशल्या बाई पुत्री कल्याण जाति नाई,
   निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
5. गोपाली बाई पुत्री कल्याण जाति नाई,
   निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
6. मेना सेन पुत्री कल्याण जाति नाई,
   निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।
7. राधासेन पुत्री कल्याण जाति नाई,
   निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956
(कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970)

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी कल्याण नाई को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 1771/1360 रकबा 2.0801 हैक्टेयर वाकेग्राम डाबी आवंटन आदेश दिनांक 22.12.1975 को निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 8/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2025/38 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 15.07.2025 एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, मौके पर उक्त भूमि बरडा के रूप में पड़ी हुई है, जिसके पत्थर का कोट दक्षिण व पूर्व दिशा मे हो रखा है तथा वर्तमान में उक्त अन्य खेत में शामिल कर कोट कर रखा है। उक्त भूमि पर झाडियां उगी हुई है। मौके पर उक्त भूमि गैर खातेदारान का कब्जा न होकर अन्य व्यक्ति का कब्जा है तथा गैर खातेदार द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्राप्त आवंटन पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि कल्याण आ. भूरालाल जाति नाई निवासी डाबी को दिनांक 22.12.1975 को भूमि खसरा सं. 1182/1360 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा वाकेग्राम डाबी का आवंटन किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम डाबी की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 1771/1360 रकबा 2.0801 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) यहां पेश किया है। प्रकरण में तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर "आवंटी द्वारा आवंटन

शर्तो की पालना नहीं की गई है'' अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध मुताबिक मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, मौके पर उक्त भूमि बरडा के रूप में पड़ी हुई है, जिसके पत्थर का कोट दक्षिण व पूर्व दिशा मे हो रखा है तथा वर्तमान में उक्त अन्य खेत में शामिल कर कोट कर रखा है। उक्त भूमि पर झाडियां उगी हुई है। मौके पर उक्त भूमि गैर खातेदारान का कब्जा न होकर अन्य व्यक्ति का कब्जा है तथा गैर खातेदार द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। नकल खसरा गिरदावरी खरीफ (सियालू) वर्ष 2024 संवत् 2081 के अनुसार उक्त भूमि पर कोई फसल नहीं बोई जाकर ''पड़त'' पडी हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गैर खातेदारान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कल्याण आ. भूरालाल जाति नाई निवासी डाबी को किया गया भूमि आवंटन हाल खसरा सं. 1182/1360 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा (हाल खसरा सं. 1771/1360 रकबा 2.0801 हैक्टेयर) वाकेग्राम डाबी दिनांक 22.12.1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्तियों का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते